



Ref. No.: F4.9(1212)/RISL/Tech/Misc./2025/

Date:

अतिरिक्त निदेशक / सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.) / एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उ.नि.)
जिला कार्यालय सू.प्रौ. एवं संचार विभाग,
समस्त जिला, राजस्थान

विषय : नए ई-मित्र कियोस्क हेतु आवेदन व अनुमोदन की प्रक्रिया के क्रम में।

संदर्भ : विभाग द्वारा जारी RFP पत्रांक F4.9(1193)/RISL/Tech/Misc/2025/25189001 दिनांक 08.07.2025 एवं पत्र राजकाज क्रमांक 19854939 दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ई-मित्र परियोजना के तहत नये कियोस्क के आवेदन व अनुमोदन की प्रक्रिया में उक्त RFP सं. F4.9(1193)/RISL/Tech/Misc/2025/25189001 दिनांक 08-07-2025 (Final RFP Emitra LSP 2025 After Prebid) के Section 3.2.1 (पृष्ठ 24) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नए ई-मित्र कियोस्क का पूरा आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं निम्नानुसार है:-

1. आवेदन प्रक्रिया:-

आवेदक को e-Mitra पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है।
आवेदन शुल्क (₹1,500 + GST) भी ऑनलाइन जमा करना है।
सभी आवश्यक दस्तावेज (पुलिस वेरिफिकेशन, जन आधार, PAN, बैंक विवरण आदि) ऑनलाइन अपलोड/लिंक किए जाते हैं।

2. दस्तावेज सत्यापन एवं अनुमोदन:-

अधिकांश दस्तावेज ऑनलाइन / डिजिटाइज्ड डेटा सेट (e-Mitra एप्लिकेशन से एकीकृत) के माध्यम से स्वतः सत्यापित हो जाते हैं।

अनुमोदन के तीन स्तर (सभी ऑनलाइन):-

Level 0 → LSP द्वारा ऑनलाइन सत्यापन एवं अनुमोदन

Level 1 → Programmer, Panchayat Samiti/Municipality Town द्वारा ऑनलाइन

Level 2 → Secretary DeGS द्वारा ऑनलाइन अंतिम अनुमोदन DeGS shall examine & approve the application online (RFP Page 24) ।

साथ ही Annexure 15 के साथ किसी अन्य दस्तावेज जैसे आधार/पैन की ज़रूरत नहीं है।

3. भौतिक निरीक्षण

DoIT&C अधिकारी कियोस्क स्थल पर भौतिक निरीक्षण (physical inspection) कर सकते हैं।
जिला कार्यालय में दस्तावेज जमा करने या सत्यापन हेतु आवेदक को बुलाने का RFP में कहीं भी उल्लेख नहीं है।

Signature valid

Digitally signed by Rameshwar Lal Solanki

Designation : Technical Director

Date: 2026.04.15 18:09:28 IST

Reason: Approved





RajCOMP Info Services Ltd.

(A Government of Rajasthan undertaking)

email: info.risl@rajasthan.gov.in
website: www.risl.rajasthan.gov.in
CIN : U72200RJ20105GC033185

साथ ही आवेदक द्वारा ई-मित्र कियोस्क के आवेदन के समय पर रेट लिस्ट एवं को-ब्रांडेड बैनर प्रदर्शित करने के अनिवार्यता नहीं है। कियोस्क पर रेट लिस्ट एवं को-ब्रांडेड बैनर लगाने हेतु Approval से 30 दिन का समय दिया जाता है, जिसके पश्चात ही कियोस्क पर कार्यवाही प्रस्तावित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की अपने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देशित करें कि किसी भी नए कियोस्क आवेदक को अनावश्यक दस्तावेज सत्यापन या दस्तावेज जमा करने के लिए जिला कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए पाबन्द न किया जाए। पूरी प्रक्रिया RFP के अनुसार ऑनलाइन ही पूरी की जाए।

संलग्न: RFP का प्रासंगिक अंश (Section 3.2.1) Page 24

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक

Ref. No.: F4.9(1212)/RISL/Tech/Misc./2025/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

Date:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सू0 प्रौ0 और संचार विभाग, जयपुर एवं Chairman, RISL.
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू0 प्रौ0 और संचार विभाग, जयपुर एवं MD, RISL.
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर, समस्त जिला, राजस्थान
4. तकनीकी निदेशक एवं Group Head (VII), सू0 प्रौ0 और संचार विभाग, जयपुर।
5. समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP), ई-मित्र परियोजना, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Rameshwar Lal Solanki

Designation : Technical Director

Date: 2026.04.15 18:09:28 IST

Reason: Approved

Ref. No.: F4.9(1212)/RISL/Tech/Misc./2025/

Dated:

अतिरिक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.)/एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर(उ.नि.)
जिला कार्यालय सू.प्रौ. एवं संचार विभाग,
समस्त जिला, राजस्थान

विषय: नये कियोस्क स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ: विभाग द्वारा जारी RFP पत्रांक: F4.9(1193)/RISL/Tech/Misc/
2025/25189001 दिनांक: 08/07/2025

महोदयए

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ई-मित्र परियोजना के तहत नये कियोस्क के आवेदन व अनुमोदन की प्रक्रिया में उक्त RFP के अनुसार परिवर्तन किए गये हैं, जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-

1. पूर्व प्रक्रिया के विपरीत, अब नये कियोस्क हेतु आवेदन Citizen द्वारा अपने स्वयं के SSO से ही किया जायेगा एवं एक SSO से केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है।
2. Citizen द्वारा SSO तथा जनआधार को OTP द्वारा verify किया जायेगा।
3. आवेदक की Photo एवं बैंक विवरण जनआधार से ही प्राप्त किये जायेगे जिनके लिए अतिरिक्त Document की आवश्यकता नहीं है।
4. वर्तमान RFP के अनुसार RS-CIT Certificate आवश्यकता नहीं है।
5. आवेदक के साथ निम्न दस्तावेज लगाए जाने हैं:-
 - शैक्षिक योग्यता दस्तावेज(न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण)
 - पैन कार्ड
 - डिजिटल पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र(6 माह से अधिक पुराना न हो)
 - शपथ-पत्र (परिशिष्ट-4)
 - पता प्रमाण: स्वयं का परिसर होने की दशा में बिजली का बिल या रजिस्ट्री, एवं किराये का परिसर होने की दशा में मकान मालिक द्वारा Annexure-15 में NOC.
6. नवीन प्रणाली के तहत ब्लॉक (अधिकतम 5 दिवस) एवं जिला स्तर (अधिकतम 5 दिवस) में आवेदन का निस्तारण किया जायेगा। समयवद्ध निस्तारण नहीं होने पर इसे System द्वारा Auto Approve कर दिया जायेगा।
7. जो आवेदन दिनांक 01-12-2025 से पूर्व किए गए थे उन्हें भी आवेदन के साथ पुरानी EOI के अनुशार लगाये गए एवं वर्तमान में visible दस्तावेजों के आधार पर ही Approve किया जाएगा तथा अप्रूवल के पश्चात कियोस्क को बिना शुल्क चालू किया जाएगा।

संलग्न:-

(A) Kiosk Approve Guidelines

(B) Kiosk Apply Guidelines



उमेश चंद जोशी
(अतिरिक्त निदेशक)



RajCOMP Info Services Ltd.

(A Government of Rajasthan undertaking)

email: info@rajcomp.net

website: www.rajcomp.net



Ref. No.: F4.9 (1212)/RISL/Tech/Misc/2025/

Dated:

प्रतिलिपि निम्न को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजि सचिव, प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड।
2. निजि सचिव, निदेशक(वित्त), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड।
3. निजि सचिव, निदेशक(तकनीकी), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड।
4. निजि सचिव, तकनीकी निदेशक एवं प्रभारी ग्रुप-7।
5. समस्त स्थानीय सेवा प्रदाताओं को सूचनार्थ।

(अतिरिक्त निदेशक)